8/4/26 पत्रावली पेश हुई। प्रा० पत्र 07 R 11 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अपील अपीलार्ट निगरानी रेस्पोण्डेन्ट खारिज किया जाता है। निर्णय [illegible] पृथक से लिखा गया जाकर शामिल पत्रावली किया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नियम से जमा रिकॉर्ड दाखिल दफ्तर हो आदेश सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.05.04 13:08:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली(राज0)

पीठासीन अधिकारी प्रेमराज मीना, उपखण्ड अधिकारी (RAS)

मु0न0:—18 / 08 तारीख रजु:—23.08.08

उनवान

हरगोविन्द पुत्र हरिकिशन जाति माली निवासी करौली तहसील व जिला करौली (फौत)

1. दिनेश
2. रामेशवर

पुत्रान हरगोविन्द

3. अमरो
4. धनबाई
5. सुनीता
6. प्यारबाई

पुत्रीयान हरगोविन्द

वारिस काबिज जायदाद मृतक हरगोविन्द

7. हल्की बेवा हरगोविन्द

सभी जातियान माली निवासीयान करौली तहसील व जिला करौली राज.

—अपीलांट

बनाम

1. मुन्नी देवी बेवा रधुवीर
2. संतोष
3. हेमेन्द्र
4. रामबाबू

पुत्र रधुवीर प्रसाद

5. आशा
6. संतरा
7. उषा

पुत्री रधुवीर

8. गोविन्दा
9. प्रकाश
10. नारायण
11. सुरेश

पुत्र हरीचरण

Signature Not Verified

Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.05.04 13:08:36 IST
Reason: SelfAttested

सभी जातियान महाजन निवासीयान भूडारा बाजार करौली तहसील व जिला करौली राजस्थान

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

12. लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार करौली जिला करौली राज.

13. मुकेश
14. प्रदीप
15. मनोज — पुत्रान गोपाल
16. कमलेश
17. महेन्द्र

18. राजश्री पुत्री गोपाल

19. द्रोपती पत्नी गोपाल

सभी जातियान महाजन निवासी करौली हाल निवासी भारत मील कपडा मार्केट बाबासाडी सेन्टर फुहारे के पास गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

—रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व आदेश नामान्तरण सं. 217 दिनांक 31.10.1965 कस्बा करौली
में
आदेश 7 नियम 11 सीपीसी व धारा 11 सीपीसी

—::आदेश::— दिनांकः—05.02.2026

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीयान रेसपोन्डेड ने यह आवेदन इस आशय का पेश किया है कि अपीलांट द्वारा नामांतकरण संख्या 217 दिनांक 31.10.65 कस्बा करौली के विरूद्व यह अपील पेश की है। जबकि उक्त नामांतकरण की हरिकिशन के मरने के बाद हरिकिशन की विधिक वारिस एकमात्र उसकी पत्नि सुरजो द्वारा नामांतकरण संख्या 217 दिनांक 31.10.65 के विरूद्व न्यायालय हाजा में अपील मुकदमा नंबर 5/86 दिनांक 3.3.86 को प्रस्तुत की थी जो दिनांक 10.7.86 को मैरिट पर सुनवाई होकर खारिज हो चुकी है और सुरजो ने दिनांक 3.3.86 को प्रस्तुत अपील में हरिकिशन का निःसंतान फौत होना एवं स्वंय का एकमात्र वारिस होना अपील के पैरा नंबर 1 में ही दर्ज किया है। इस प्रकार अपीलांट मृतक हरिकिशन का पुत्र नहीं है। बल्कि अपीलांट प्रभु का पुत्र है। जिसका इन्द्राज मतदाता सूची वर्ष 2008 के कमांक 337 पर दर्ज है और अपीलांट का परिचय

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj
Date: 2026.05.04 13:08:36 IS
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

दिनांक KFX/1176858 इसी नाम हरगोविन्द पुत्र प्रभु से जारी हुआ है। इस प्रकार अपीलांट मृतक हरकिशन का पुत्र नहीं है एवं नामांतकरण संख्या 217 की अपील हरिकिशन की पत्नि द्वारा की जा चुकी है। जो खारिज हो चुकी है और उक्त नामांतकरण बैध है और अब निर्णय दिनांक 10.7.86 के 22 वर्ष बाद एवं नामांतकरण दिनांक 31.10.65 के 43 वर्ष बाद यह अपील हरकिशन का फर्जी वारिस बनकर रेस्पोडेन्ड को तंग व परेशान करने एवं रेस्पोडेन्ड से रकम ऐंठने की बदनियति से पेश की है। रेसज्येडिकेटा होने से धारा 11 सीपीसी के तहत इसी स्टेज पर खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र प्रार्थीयान रेस्पोडेन्ड स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

अप्रार्थीयान अपीलांट द्वारा इस प्रार्थना पत्र का कोई जबाव प्रस्तुत नहीं करने पर सीधे उभयपक्ष की बहस प्रार्थना पत्र ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी पर सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील प्रार्थीयान रेस्पोडेन्ट का बहस मे कथन है कि अपीलांट द्वारा नामांतकरण संख्या 217 दिनांक 31.10.65 कस्बा करौली के विरूद्व यह अपील पेश की है। जबकि उक्त नामांतकरण की हरिकिशन के मरने के बाद हरकिशन की विधिक वारिस एकमात्र उसकी पत्नि सुरजो द्वारा नामांतकरण संख्या 217 दिनांक 31.10.65 के विरूद्व न्यायालय हाजा में अपील मुकदमा नंबर 5/86 दिनांक 3.3.86 को प्रस्तुत की थी जो दिनांक 10.7.86 को मैरिट पर सुनवाई होकर खारिज हो चुकी है और सुरजो ने दिनांक 3.3.86 को प्रस्तुत अपील में हरिकिशन का निःसंतान फौत होना एवं स्वंय का एकमात्र वारिस होना अपील के मद नंबर 1 में ही दर्ज किया है। इस प्रकार अपीलांट मृतक हरिकिशन का पुत्र नहीं है। बल्कि अपीलांट प्रभु का पुत्र है। जिसका इन्द्राज मतदाता सूची वर्ष [illegible]8 व[illegible] क्रमांक 337 पर दर्ज है और अपीलांट का परिचय [illegible] दिनांक KFX/117[illegible] इसी नाम हरगोविन्द पुत्र प्रभु से जारी हुआ है। इस प्रकार अप[illegible]ट मृतक हरिकिशन का पुत्र नहीं है एवं नामांतकरण संख्या 217 की अपील हरिकिशन की पत्नि द्वारा की जा चुकी है। जो खारिज हो चुकी है और उक्त नामांतकरण बैध है और अब निर्णय दिनांक 10.7.86 के 22 वर्ष बाद एवं नामांतकरण दिनांक 31.10.65 के 43 वर्ष बाद यह अपील हरिकिशन

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj M
Date: 2026.05.04 13:08:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

का फर्जी वारिस बनकर रेस्पोडेन्ड को तंग व परेशान करने एवं रेस्पोडेन्ड से रकम ऐंठने की बदनियति से पेश की है। रेराज्येडिकेटा होने से धारा 11 सीपीसी के तहत इसी स्टेज पर खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र प्रार्थीयान रेस्पोडेन्ड स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

वकील अप्रार्थीयान अपीलांट का बहस में कथन है कि हरिकिशन की पत्नि सुरजो नहीं होकर सूरजबाई है। जिसके द्वारा कोई अपील पेश नहीं की गई है। किसी गलत व फर्जी औरत द्वारा हरिकिशन की पत्नि बनकर नामांतकरण की अपील जमीनों को हडपने के लिए रेस्पोडेन्ट से मिलकर साजिश करके करदी हो तो उससे अपीलांट बाध्य नहीं है। और अपीलांट के खातेदारी हकूकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अपील का निर्णय दिनांक 10.7.86 रेसज्यूडिकेटा की तारीफ में नहीं आता है। प्रार्थना पत्र प्रार्थीयान रेस्पोडेन्ट खारिज किया जावे।

बहस वकील उभयपक्ष का मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत मतदाता सूची वर्ष, 2008 के कमांक 337 पर हरगोविन्द के पिता का नाम प्रभु लिखा है। जिसका मतदाता कमांक पहचान पत्र KFX/1176858 है और प्रभु की पत्नि व अपीलांट हरगोविन्द की मां का नाम फूलबाई दर्ज है इसी पहचान पत्र कमांक पर दिनांक 16.1.11 को पिता का नाम हरिकिशन दर्ज है। जबकि अपीलांट की पत्नि का नाम हल्की दर्ज है। जो वोटर लिस्ट सन् 2008 में कमांक 338 पर हल्की पत्नि हरगोविन्द का नाम दर्ज है एवं कमांक 339 नंबर पर फूलबाई पत्नि प्रभु का नाम दर्ज है। जिससे स्पष्ट होता है कि सुरजबाई नाम की कोई पत्नि हरिकिशन की नहीं रही है एवं हरिकिशन की पत्नि सुरजो द्वारा अपने अपील मीमो में हरिकिशन को निसंतान फौत हो जाना एवं स्वंय को एकमात्र वारिस होना बताया है। नामांतकरण नंबर 217 दिनांक 31.10.65 खरीद 90/— रूपये की बयनामा पर रेस्पोडेन्ट [illegible] पितागण हक मे दर्ज किया गया है। जिसकी अपील दिनांक 3.3.8[illegible] को हरिकिशन की पत्नि सुरजो द्वारा मुकदमा नंबर 5/86 उनवानी [illegible]ती सुरजो बनाम प्रभुलाल वगै0 प्रस्तुत की गई थी जो न्यायालय हाजा द्वारा निर्णय दिनांक 10.7.86 को खारिज की जा चुकी है। इस प्रकार अपीलांट का हरिकिशन पुत्र सेडू का वारिस नहीं होना पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज से प्रकट होता है। अपीलांट को हरिकिशन का पुत्र बनकर अपील पेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj M
Date: 2026.05.04 13:08:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

करने का हक उत्पन्न नहीं होता है। क्योंकि अपीलांट का मतदाता सूची वर्ष 2008 में कमांक 337 पर प्रभु का पुत्र दर्ज है और उसी कमांक पर 2011 में जारी परिचय पत्र में हरगोविन्द पुत्र हरिकिशन दर्ज हुआ है। जिससे स्पष्ट है कि अपीलांट ने परिचय पत्र में पिता का नाम प्रभु के स्थान पर हरिकिशन दर्ज कराकर यह अपील पेश की है। वादग्रस्त भूमि के संबंध में सुरजो व रेसपोडेन्ट के मध्य हकूक खातेदारी अपील नामांतकरण मुकदमा 5/86 निर्णय दिनांक 10.7.86 में तय हो चुके है। इसलिए यह अपील नामांतकरण धारा 11 सीपीसी के तहत रेस ज्यूडिकेटा की तारीफ में आती है एवं वार्डबाई लॉ होने से चलने योग्य नहीं है।

अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीयान/रेस्पोडेन्टस आदेश 7 रूल 11 सीपीसी स्वीकार किया जाता है। अपील अपीलांट विरूद्व रेस्पोडेन्ट रेसज्यूडिकेटा होने से एवं वार्डबाई लॉ होने से खारिज की जाती है।

आदेश आज दिनांक 05.02.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(प्रेमराज मीना)
उपखण्ड अधिकारी,
करौली (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.05.04 13:08:36 IST
Reason: SelfAttested